



## षोडश बिहार विधान सभा

### पंचम सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-17.03.2017 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री रवि ज्योति कुमार,  
स०वि०स०

“राज्य के प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों में नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा काल में जिला प्राथमिक शिक्षा संस्थान अथवा राज्य में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विगत दो वर्षों से अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है । सत्र 2015-17 के प्रथम वर्ष की परीक्षा जून, 2016 से लम्बित है तथा सत्र 2016-18 का तो अभी तक नामांकन भी प्रारम्भ नहीं किया गया है जिससे बड़ी संख्या में नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये ही अध्यापन कार्य कर रहे हैं ।

शिक्षा

अतएव लम्बित पड़े प्राथमिक प्रशिक्षण परीक्षा को आयोजित कराने एवं विलम्बित सत्र को पुनः प्रारम्भ कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स०  
श्री रामप्रीत पासवान, स०वि०स०  
श्री प्रकाश राय, स०वि०स०  
श्री सुरेश कुमार शर्मा, स०वि०स०  
श्री संजीव चौरसिया, स०वि०स०  
श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-97)  
डॉ० सुनील कुमार, स०वि०स०  
श्रीमती आशा देवी, स०वि०स०
- “राज्य में नये राशन कार्ड बनवाने में आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पदाधिकारी द्वारा गरीब मजदूरों से उनके राशन कार्ड बनाने हेतु शपथ-पत्र एवं 2011 की जनगणना की कॉपी की माँग की जा रही है। शपथ-पत्र बनाने में कम-से-कम 200 रु० लगते हैं। वर्ष 2011 में की गयी जनगणना की कॉपी 2017 में गरीब मजदूर कहाँ से लायेंगे। इस कार्य में बिचौलियों द्वारा आर्थिक दोहन भी किया जा रहा है। बी.पी.एल. सूची में रहने वाले कई लोग 2011 की जनगणना से वंचित हैं। इस स्थिति में गरीब लोग राशन कार्ड से वंचित रह जायेंगे।
- अतः उपर्युक्त मामले की जाँच कर गरीबों के राशन कार्ड बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”


राम श्रेष्ठ राय

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/17-1877-1879 वि०स०, पटना, दिनांक-16 मार्च, 2017 ई०।


प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अनिल कुमार जायसवाल)  
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-12/17-1877-1879 वि०स०, पटना, दिनांक-16 मार्च, 2017 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अनिल कुमार जायसवाल)  
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।